रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3627] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 2018/भाद्र 21, 1940
No. 3627] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2018/BHADRA 21, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

का.आ. 4785(अ).—यतः, मै. विकास टेलिकॉम प्रा. लि. जो कि कर्नाटक राज्य में एक निजी संगठन है, ने कर्नाटक राज्य आउटर रिंग रोड, देबाराबीसनहल्ली गांव, वरतुर हुबली, बेंगलुर पूर्वी तालूक, बेंगलुर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था;

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र	अनधिसूचित क्षेत्र	कुल क्षेत्र हेक्टेयर में
(i)	का. आ. 1465(अ)	08.09.2006	36.85	-	**36.85**
(ii)	का. आ. 781(अ)	28.03.2008	1.31	-	**38.16**
(iii)	का. आ. 762(अ)	12.03.2015	0.68	-	**38.84**
(iv)	का. आ. 2261(अ)	24.05.2018	-	11.53	**27.31**

और यतः, मै. विकास टेलिकॉम प्रा. लि. ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 4.81 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, कर्नाटक सरकार ने उनके पत्र सं. सीआई 98 एसपीआई 2018 दिनांक 24 जुलाई, 2018 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 4.81 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से **4.81 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है**, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल **22.50 हेक्टेयर** हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:–

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	देबाराबीसनहल्ली	8/2	0.17
2		8/3	0.69
3		8/4	0.30
4		8/5	0.49
5		9/3	0.36
6		9/4	0.49
7		9/5	0.80
8		10/9	0.28
9		11/6	0.05
10		11/7	0.02
11		12/12	0.32
12		14/3	0.23
13		14/5	0.07
14		14/10 (ए) (पी)	0.27
15		14/14	0.05
16		14/16	0.10
17		14/17	0.10
18		10/8	0.02
	Total		**4.81**
	Grand Total Area of SEZ after above deletion		**22.50**

[फा.सं. एफ. 2/33/2006–एसईजेड]
बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

S.O. 4785(E).—Whereas, M/s. Vikas Telecom Pvt. Ltd., a private organization in the State of Karnataka, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology & Information Technology Enabled Services at Outer Ring Road, Devarabeesanhalli Village, Varthur Hobli, Bengaluru East Taulk, Bengaluru in the State of Karnataka;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below:-

S. No.	Notification No.	Date	Notified Area in Hectares	De-notified area in hectares	Total Area in Hectares
(i)	S.O. 1465(E)	08.09.2006	36.85	-	**36.85**
(ii)	S.O. 781(E)	28.03.2008	1.31	-	**38.16**
(iii)	S.O. 762(E)	12.03.2015	0.68	-	**38.84**
(iv)	S.O. 2261(E)	24.05.2018	-	11.53	**27.31**

AND, WHEREAS, M/s. Vikas Telecom Pvt. Ltd. has now proposed for de-notification of 4.81 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its approval to the proposal vide letter No. CI 98 SPI 2018 dated 24th July, 2018;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 4.81 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 4.81 hectares**, thereby making resultant area as **22.50 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area in Hectares
1	Devarabeesanhalli	8/2	0.17
2		8/3	0.69
3		8/4	0.30
4		8/5	0.49
5		9/3	0.36
6		9/4	0.49
7		9/5	0.80
8		10/9	0.28
9		11/6	0.05
10		11/7	0.02
11		12/12	0.32
12		14/3	0.23

13		14/5	0.07
14		14/10 (A)(P)	0.27
15		14/14	0.05
16		14/16	0.10
17		14/17	0.10
18		10/8	0.02
	Total		**4.81**
	Grand Total Area of SEZ after above deletion		**22.50**

[F. No. F.2/33/2006-SEZ]
B.B. SWAIN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.18 14:05:59 +05'30'